न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग।
फौजदारी वाद संख्या 321/2026
राज्य बनाम रजत कुमार।
UKRU02-000377-2026

(09) दिनांक 09.07.2026 पत्रावली पेश। पुकार करायी गयी। अभियुक्त रजत कुमार मय विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षांश धरवाण न्यायालय उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जुर्मस्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, जुर्म इकबाल किया गया है। अतः जुर्म इकबाल बयान के आधार पर अभियुक्त को मोटर यान अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत ₹100/- (एक सौ रूपये) जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त एक दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या **4061/UHC/IT/XXXI/E-PAY/20224 Dated:** 01.07.2025 के अनुपालन अभियुक्त की ओर से e-Pay Online System के माध्यम से Online Transaction Id **7612194204917** Dated 09.07.2026 द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि ₹100/- (एक सौ रूपये) जमा की गयी। Transaction Id की प्रति अभियुक्त को प्रदान की गयी।

वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज, यदि कोई हो, अभियुक्त को वापस किये जाएं। तद्नुसार पत्रावली निस्तारित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(अशोक कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रूद्रप्रयाग।